न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :श्री राजेश कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 20 / 2024

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2024 / 35

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थी**
1.गोपाराम पुत्र रामाराम जाति जाट निवासी हरुपानीयो की ढाणी,ढूंढा, जिला बाड़मेर 2.गवरीदेवी पत्नी थानाराम जाति जाट निवासी पूनियो की बस्ती,आदर्श चवा जिला बाड़मेर 3.भगवानाराम दतकपुत्र जयराम जाति जाट निवासी पूनियो की बस्ती, आदर्श चवा,जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री करणसिंह सोंलकी,वकील प्रार्थीगण

2.विप्रार्थी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक–14.02.2024

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण 1.गोपाराम पुत्र रामाराम 2.गवरीदेवी पत्नी थानाराम 3. भगवानाराम दतकपुत्र जयराम ने अपने खातेदारी [illegible] खसरा संख्या 876 / 991 क्षेत्रफल 4.4895 हैक्टेयर मौजा [illegible] तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या [illegible] क्षेत्रफल 11.8876 हैक्टेयर भूमि में से 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh K
Date: 2024.03.03 13:50:00
Reason: SelfAttested

02. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल है।

03. तत्पश्चात् प्रकरण में बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1362/870 क्षेत्रफल 11.8876 हैक्टेयर मौजा मंडापुरा में से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत संख्या 876/991 क्षेत्रफल 4.4895 हैक्टेयर तक बरंग लाल के चौड़ा रास्ता 30 फिट भूमि तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अतः तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थीगण को आपति नहीं। विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु उपलब्ध विकल्पो में से उपयुक्त रास्ता करने का निवेदन किया।

04. हमनें पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 1362/870 क्षेत्रफल 11.886 हैक्टेयर में से 30 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। जवाब में विप्रार्थी ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु दो विकल्प दर्शाये हैं,जिसके अनुसार :–

i. संलग्न नजरी मानचित्र में प्रार्थी की भूमि A B C D प्रदर्शित हैं,प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता B से E हैं जिसमें बिन्दु संख्या E पर मौके पर रिफाइनरी की चारदीवारी से जुड़ती डामर सड़क निर्मित हैं। परन्तु उक्त सड़क/रास्ता राजस्व रेकर्ड में कटान दर्ज नहीं हैं तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता 210 गट्टा व 30 फीट चौड़ाई के आधार पर रकबा 1.18 बीघा अर्थात 01 बीघा 18 विस्वा भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित हैं।

ii. खसरा संख्या 876/991 में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता जो B से F जो अन्य निजी खातेदारी भूमि में से हैं,जिन्हे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया हैं तथा मौके पर व नक्शे में अंकन हैं। उक्त प्रस्तावित रास्ता (B-E) व वैकल्पिक रास्ता (B-F) का नजरी नक्शा संलग्न हैं।

05. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान [illegible] समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh K
Date: 2024.03.03 13:50:00
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा आवेदक को अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है दर्शाया जाये भूमि में से होकर और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए उस अभिधारी को जो उस भूमि को धारित करता है जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

06. चूंकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एव तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 876 / 991 में आवागमन हेतु राजस्व रेकर्ड एव मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं अत: उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थी द्वारा सिद्ध किया गया हैं। विप्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ते की लम्बाई 210 गट्ढा हैं जो खसरा संख्या 1362 / 870 में होकर गुजरता है तथा (प्रस्तावित) अन्य वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 873 तथा 1363 / 870 के मध्य से होकर दर्शाया गया है। उक्त भूमि अन्य निजी खातेदारो के नाम दर्ज है तथा मध्य से सार्वजनिक रास्ते के रूप में अनुज्ञात किये जाने की स्थिति में निजी खातेदारी भूमि के अवांछित विभाजन होने की वजह से विवाद की संभावना प्रतीत होती है तथा उक्त निजी खातेदारी भूमि की सीमा के सहारे–सहारे प्रार्थी को रास्ता अनुज्ञात करने की दशा में पहुंच रास्ते का रूट लघुतम या निकटतम नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में उपलब्ध विकल्पो के संबंध में कोई स्पष्ट टिप्पणी अंकित नहीं [illegible] न ही राजहित के प्रभावित होने का उल्लेख किया है उक्त [illegible] तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दर्शित रास्ता E-B अधिक उपयुक्त [illegible] होता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 13:50:00 IST
Reason: SelfAttested

07. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु राजकीय भूमि में से रास्ता उपलब्ध करवाना अधिक उपयुक्त है,अतः हम प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के लिए यहां राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प.3(52) राज–6 / 12 / 4 दिनांक 14.06.2013 में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं:–

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचन के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग का विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है,तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसे सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव हैं। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई। कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकार लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूप से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौड़ा नहीं होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलेखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता मार्क E -B कुल रकबा 01.18 बीघा की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर–1,51,319 रूपये प्रति बीघा के अनुसार देय राशि–05,75,013 रूपये बनती है,जिसकों प्रार्थीगण राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है। अतः हम प्रार्थीगण का प्रार्थना –पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 876/991 में पहुंच हेतु खसरा संख्या 1362/870 क्षेत्रफल 11.8876 हैक्टेयर में से संलग्न नक्शानुसार मार्क E -B 30 फीट चौडाई व 210 गट्ठा लम्बाई रकबा 01–18 बीघा भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 05,75,013/–(पांच लाख पचहतर हजार तेरह) रूपयें की राशि राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाए जाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Ku
Date: 2024.03.03 13:50:00 IS
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा